भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 803688

उपकोषाधिकारी
जनपद-अमरोहा
24 JUL 2013

न्यास विलेख

यह न्यास विलेख तारीख 27.08.2013 को जिला अमरोहा में निम्न पक्षकार के मध्य निष्पादित किया गया –

तोताराम पुत्र स्व0 श्री खूबिया निवासी ग्राम तरारा पोस्ट ऊझारी तहसील हसनपुर जनपद अमरोहा जिसको आगे ट्रस्ट का सेटलर कहा जायेगा

तथा

(1) तोताराम पुत्र स्व0 श्री खूबिया निवासी ग्राम तरारा पोस्ट ऊझारी तहसील हसनपुर जनपद अमरोहा।

(2) राजीव कुमार पुत्र श्री तोताराम निवासी ग्राम तरारा पोस्ट ऊझारी तहसील हसनपुर जनपद अमरोहा।

जिनको आगे ट्रस्ट का फाउन्डर ट्रस्टी कहा जायेगा।

Rajeev Kumar

तोताराम

तोताराम

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 739545

जोकि सेटलर (प्रथम पक्ष) ने रू 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) जो कि सेटलर के स्वयं के है तथा जो सेटलर के कब्जे में है, इन रूपयों को सेटलर ने अपनी ईच्छा से शैक्षिक व सामाजिक कार्यों व निर्धन, असहाय, विकलांगों को समाज में पुनः स्थापित करने के समाजिक उददेश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट बनाने हेतु देने का निश्चय किया है।

जोकि सेटलर अपने उक्त धन से एक ट्रस्ट कायम करना चाहता है ताकि सेटलर की इच्छा के अनुसार उसके धन से ट्रस्ट के उददेश्य पूरे किये जा सके। लिहाजा दस्तावेज हाजा के द्वारा सेटलर ट्रस्ट का निमार्ण करता है उक्त धनराशि को सामाजिक कार्यों में खर्च करने के समस्त अधिकार फाउंडर ट्रस्टीज को दिये जाते है जिनका लिया जाना फाउन्डर ट्रस्टीज ने स्वीकार कर लिया है। यह धन राशि ट्रस्टियों में निहित हो गयी तथा आज से ट्रस्ट के ही इस्तेमाल मे लायी जायेगी।

ट्रस्ट अपने गठन दिनांक 20.02.2010 से सामाजिक कार्य करता चला आ रहा है तब से ट्रस्ट अंपजीकृत ट्रस्ट के रूप में कार्य कर रहा था किन्तु ट्रस्ट के कार्यो को विस्तार देने के लिये ट्रस्ट का पंजीयन अब कराया जा रहा है।

और यहॉं यह घोषित किया जाता है कि ट्रस्ट के चैरिटेबिल उददेश्य जो नीचे दर्शाये गये है वह बिना किसी जाति, धर्म एवं वर्ग के भेद के समाज के हर वर्ग के लिये होगें।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BF 739546

31 JUL 2013

1. नाम ट्रस्ट— — श्रीमति साहब देई मैमोरियल चैरिटेबिल ट्रस्ट

2. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र— — सम्पूर्ण भारतवर्ष।

3. ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय — ग्राम तरारा पोस्ट ऊझारी तहसील हसनपुर जनपद अमरोहा।

4. ट्रस्ट की सम्पत्ति — रु 50,000/— (रूपये पचास हजार मात्र)

5. उद्देश्य — ट्रस्ट के निम्न उद्देश्य होगें—

1— क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था हेतु प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई तथा अन्य क्षेत्रीय बोर्ड के विद्यालयों की स्थापना करना।

2— समाज के पिछडे हुए उपेक्षित अल्पसंख्यक/अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/ विकास हेतु प्रोत्साहन देना।

3— विद्यार्थियों को सुशील, चरित्र वान व स्वलम्बी बनाने के लिये छात्रावास स्थापित करना। उनकी व्यवस्था करना।

4— छात्र/छात्राओं के अध्ययन हेतु पुस्तकालय, वाचनालय की स्थापना करना तथा शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों व छात्र/छात्राओं के विकास हेतु कम्प्यूटर एवं टाईप प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना।

5— गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था करने मे सहयोग प्रदान करना तथा उनको शिक्षा सम्बन्धी पाठ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करना।

Rajkumar

तोताराम तोताराम

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 739547

6– मेडिकल कॉलिज, डेन्टल कॉलिज, पैरा मेडिकल कालिज एवं अस्पताल की स्थापना व संचालन करना।

7– अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों/संस्थानों की स्थापना करना एवं संचालन करना।

8– स्कूल, कॉलिज, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं, व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।

9– वयस्क तथा महिलाओं को तकनीकि शिक्षा का आयोजन कर प्रशिक्षण प्रदान करना एवं महिलाओं को हस्तकला प्रशिक्षण प्रदान करना।

10– भारतीय संस्कृति के अनुरूप अलग अलग भाषाओं के साहित्य व साहित्यकारों को ऊँचा उठाना और इनकी हौसाला अवजाई करना।

11– निर्धन एवं अनाथ लोगों व पिछडे क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रिय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों, मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनिसेफ, हडको, कपार्ट, सिप्सा, नवार्ड, आवार्ड, डूडा बाल विकास पुष्टाहार, महिला कल्याण निगम, पर्यावरण मंत्रालय, समाज कल्याण बोर्ड, केन्द्रिय समाज कल्याण बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय आदि के वित्तीय सहयोग से चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को चलाकर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना।

12– समाज के सभी धर्मो व जातियों के पिछडे, दलित व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के कल्याणार्थ आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, संग्रहालयों, वाचनालयों की स्थापना कर उनका चर्तुमुखी विकास करना एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे निर्बल व दलित वर्ग के लोगो को मोबाईल डिस्पेंसरी व अस्पताल के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करना।

13– अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों जैसे गोबर गैस सौर पवन ऊर्जा आदि पर आधारित कार्यक्रमों का प्रदर्शन करना एवं उनके क्रियान्वयन में सहयोग करना तथा उनकी स्थापना करना।

Rajeshbana

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BF 739548

31 JUL 2012

14– समाज में शिशुओं को अपना शिकार बनाकर अपाहिज कर देने वाली बीमारी से जड से मिटाने हेतु पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी अभियान में सहयोग करना एवं असुरक्षित यौन सम्बन्धों के कारण उपजी बीमारी एड्स के सर्वनाश हेतु समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी प्रदान करना तथा एड्स, कैंसर, टी0बी0 सब जानलेवा बीमारियों के उन्मूलन हेतु निःशुल्क कार्यक्रम चलाना।

15– समाज में बुजुर्गो के प्रति बढ रहे असम्मान एवं बोझ को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें नरकीय जीवन व्यतीत एवं आत्महत्या से बचाने के लिये वृद्धाश्रम एवं डे केयर सेन्टर की स्थापना कर उसमें बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क प्रवेश देकर उन्हें चिन्तामुक्त जीवन प्रदान कर लावान्वित करना।

16– जन साधारण के कल्याणकारक कार्यो को करना महिला कल्याण हेतु निराश्रित महिला कल्याण केन्द्रो नारी निकेतनो शिल्प कला केन्द्रो कम्प्यूटरों, सिलाई कताई कढाई बुनाई, पेंटिग, दरी कला, ब्यूटीपार्लर, जरदोजी पत्ती वर्क मोमबत्ती साबून धूपवत्ती, अगरबत्ती, कम्प्यूटर रेडीमेट गारमेन्ट्स, हेन्डलूम, इलैक्ट्रिक, इलैक्ट्रनिक, खाना बनाना, फोटोग्राफी, रेडियो टेलीविजन, प्लास्टिक का सामान बनाना, कचरी, पापड, प्रिन्टिंग, कुर्सी बुनना आदि प्रौढशिक्षा केन्द्रों अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र कला सांस्कृतिक कला केन्द्र तथा स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलकर उनका संचालन करना।

17– वर्षा के जल के संरक्षण के लिये रेन वाटर हार्विस्टिग को बढावा देना तथा सरकारी, गैर सरकारी, विद्यालयों, कॉलेजों तथा दो सौ वर्ग मीटर से अधिक भूखण्डों के भवन स्वामीयों को रेन वाटर हार्विस्टिंग के लिये प्रोत्साहित करना तथा प्राकृति की इस अनमोल धरोहर का समुचित संरक्षण करने का प्रयास करना।

18– हर प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिये समाज मे जागरूकता लाना तथा इससे होने वाले खतरे तथा ग्लोबल वर्मिंग के खतरो से समाज को जागरूक कर प्रदूषण को रोकने के प्रयास करना।

19– वृक्षारोपड़ कार्यकमों का संचालन करना व पीडित व्यक्तियों की हर सम्भव मदद करना। देश व प्रदेश वाली अन्य संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर सामाजिक कार्यो में सहयोग दिलाना।

तोताराम तोताराम Rajeev Verma

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 739549

29 JUL 2019

निर्धन व जरूरतमंदो तक खाद्य सुरक्षा कानून , डायरेक्ट कैश ट्रान्सफर योजना एवं आधार कार्ड के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम जन जन तक पहुँचाना।

21– शारीरिक मानसिक एवं विकलागों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्म निर्भर बनाना।

22– केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं में सहयोग करना।

23– बाल विकास महिला कल्याण तथा बच्चों के निशुल्क स्वास्थ्य रक्षा के लिये टीकाकरण तथा स्वास्थ्य एवं नेत्र शिविरों का आयोजन करना। नशा मुक्ति केन्द्रो की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना।

24– निर्धन, असहाय विकलांगो व महिलाओं आदि के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये हर सम्भव कार्य करना।

25– धर्मशालाओं, विश्राम गृह का निर्माण करना तथा उनका संचालन तीर्थ यात्रियों, पर्यटको व शैक्षिक टूर व जाने वाले विद्यार्थीयो को सुविधाये प्रदान करने के उददेश्य से करना।

26– कृषि उपज को बढाने हेतु कृषि प्रोन्नत कार्यक्रम जैस उन्नत सिंचाई के साधन, उन्नत बीच तकनीकी पर आधारित कृषि आधारित कार्यक्रमों को संचालित कर उन्हें क्रियान्वित करना।

27– कम्यूनिटी हॉल, ध्यान कक्ष, भाषण , प्रवचनों व वाद विवाद के लिये भवन कक्षो का निर्माण करना उनका संचालन व रखरखाव, ज्ञान के विस्तार, स्वस्थ मस्तिष्क तथा मन की शन्ति व स्थिरता के लिये करना।

28– ऐसे व्यक्ति जो भगवत गीता, वेद, रामायण, उपनिषद, तथा अध्यात्मिक ज्ञान की तलाश मे रहते है उनके लिये इस प्रकार के साहित्य का प्रकाशन करना तथा इसका वितरण करना।

29– पुस्तकालय व वाचनालयो की स्थापना करना व उनका संचालन करना।

30– पर्यावरण की शुद्धता एवं संरक्षण के लिये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना तथा पर्यावरण के महत्व को

Rajkumar

Scanned by TapScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BF 739550

31 JUL 2013

जन जन तक ले जाना।

31– दुर्लभ प्रजाति के पेड पौधो व जडी बूटियों का संरक्षण करना तथा उनके विकास के लिये कार्य करना।

32– समाज में गौमाता व गौमाता से प्राप्त पवित्र घी, दूध, दही गोमय (गोबर) गौमूत्र की उपयोगिता महत्ता व अनिवार्यता के बारे में लोगों में जागृति पैदा करना।

33– गौवंश की सुरक्षा व संरक्षण व संवर्धन हेतू गौशालाओं की स्थापना करना/कराना उनका संचालन करना व समुचित व्यवस्था इसके निर्मित हेतू लोगों से दान–चन्दा एवं स्वेच्छिक सहयोग प्राप्त करना।

34– गरीबो व ऐसे छात्रो को जो पात्रता रखते हो उनके भोजन की व्यवस्था करना तथा होनहार छात्रो को पुरस्कृत करना।

35– समान विचार धारा के ट्रस्टो, संगठनों, संस्थाओं तथा सरकारी गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना तथा उनके द्वारा इस सम्बन्ध में चलाये जा रहे कार्यो में सहयोग करना।

6. नाम व पते ट्रस्टी (फाउन्डर)–

(1) तोताराम पुत्र स्व0 श्री खूबिया निवासी ग्राम तरारा पोस्ट ऊझारी तहसील हसनपुर जनपद अमरोहा।

अध्यक्ष .... फाउन्डर ट्रस्टी

(2) राजीव कुमार पुत्र श्री तोताराम निवासी ग्राम तरारा पोस्ट ऊझारी तहसील हसनपुर जनपद अमरोहा।

सचिव .... फाउन्डर ट्रस्टी

तोताराम तोताराम Rajeev Kumar

Scanned by TapScanner

7. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी समय ट्रस्ट के उद्देश्यो के लिये व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा। ट्रस्ट पर इस हेतु आयकर कानून 1961 के प्रविधान लागू होगें।

8. यह कि ट्रस्टीज फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी समय या अवसर पर जैसा कि ट्रस्टीज उचित समझे उपरोक्त उनके कार्यो में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते है।

9. यह कि ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर ट्रस्टीज का समान अधिकार होगा। मौजूदा ट्रस्टियों में से किसी भी फाउन्डर ट्रस्टी की मृत्यु की वजह से या इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई जगह पर फाउन्डर ट्रस्टी के ही परिवार से किसी पढे लिखे व्यक्ति/महिला को जो फाउन्डर ट्रस्टी का उत्तराधिकारी या कानूनी वारिस हो, लिया जायेगा। किसी भी फाउन्डर ट्रस्टी को कभी भी ट्रस्ट से निष्कासित नही किया जा सकता है। फाउन्डर ट्रस्टीज के स्थान पर आने वाला व्यक्ति भी फाउन्डर ट्रस्टीज ही कहलायेगा।

10. ट्रस्ट की किसी भी नीति का निर्धारण या सभी प्रकार के निर्णय अध्यक्ष व सचिव की सहमति से ही होगा।

11. श्री तोताराम उक्त ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष व श्री राजीव कुमार उक्त ट्रस्ट के प्रथम सचिव होगें।

12 यह कि उक्त ट्रस्टीज पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होगें।

अध्यक्षः– ट्रस्ट की बैठको की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सचिव को सहयोग प्रदान करना, ट्रस्ट की बैठक के लिए समय, दिनांक आदि का अनुमोदन करना एवं बैठकों की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना।

सचिवः– ट्रस्ट की बैठको में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना, ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही करना। ट्रस्ट के दैनिक कार्य कलापो को सुचारू रूप से संचालित करना, सभी बैठको को समयानुसार एंव अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना, सभी बैठको की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिखना, अगली बैठक को बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्ठि के लिये पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना, ट्रस्ट की समस्त आय एवं व्यय का पूर्ण विवरण रखना, ट्रस्ट की आय व्यय का वार्षिक बजट तैयार कराकर वार्षिक

Rajeevkumar

तोताराम

तोताराम

Scanned by TapScanner

बैठक में अनुमोदित कराना। ट्रस्ट के अधीन चलने वाली शैक्षणिक सामजिक एवं चैरिटेबिल संस्थानों का प्रबंधन करना एवं अध्यापकों व कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन आदि करना।

13. यह कि ट्रस्ट के महत्वपूर्ण कार्य जैसे– न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एंव अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन–देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्धता आदि सहमति से अध्यक्ष एवं सचिव करेंगें। किसी महत्वपूर्ण अथवा आपात कालीन समस्या के लिए आपात कालीन बैठक जो अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी, सर्वसम्मति से निर्णय होने के उपरान्त अध्यक्ष अपना आदेश प्रदान करेंगें।

14. यह कि ट्रस्टीज समय–समय पर सामाजिक, धार्मिक एंव परमार्थिक कार्यो के प्रबन्धन एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार एक या अधिक प्रबन्ध समिति/समितियों का निर्माण कर सकते है जिनमें फाउन्डर ट्रस्टी अथवा अन्य व्यक्ति तथा व्यक्तियों को नियुक्ति करने का अधिकार होगा ट्रस्टीगण ऐसे प्रबन्ध कार्यो के उददेश्यों के संचालन व पूर्ति के लिए जो अधिकार ट्रस्टियों द्वारा उचित समझे जाये प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतया ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव ही उक्त समस्त प्रबन्ध समितियों के अध्यक्ष एवं सचिव होंगे।

15. यह कि फाउन्डर ट्रस्टीज यदि एकमत हो तो वह ट्रस्ट में नये ट्रस्टीज बढा सकते है फाउन्डर ट्रस्टीज जैसा उचित समझे नये व्यक्तियों से आवेदन के साथ आवेदन शुल्क निर्धारित कर ऐसे आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। इस प्रकार बढाये गये व्यक्ति ट्रस्टी कहलायेगें, ट्रस्टी अपनी राय तो दे सकते है किन्तु उनको किसी प्रकार का कोई वोटिंग का अधिकार नही होगा। यदि फाउन्डर ट्रस्टीज ट्रस्टी के कार्यो से संतुष्ट न हो तो उनके निष्कासन का अधिकार फाउन्डर ट्रस्टीज को होगा किन्तु इसके लिये ट्रस्टी को उचित सुनवायी का अवसर एवं एक माह का नोटिस दिया जायेगा।

16. यह कि ट्रस्ट के नाम, नियम, उददेश्यों में परिवर्तन का अधिकार, फाउन्डर ट्रस्टीज को होगा।

17. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्यक होगी। किसी भी फाउन्डर ट्रस्टी को सात दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीज को प्रस्तावित बैठक के विषय पर सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा तथा ट्रस्ट की बैठक ट्रस्ट के कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगणों को अन्य स्थान पर जहॉं ट्रस्टीगण उचित समझें उस स्थान पर भी बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

तोताराम

तोताराम

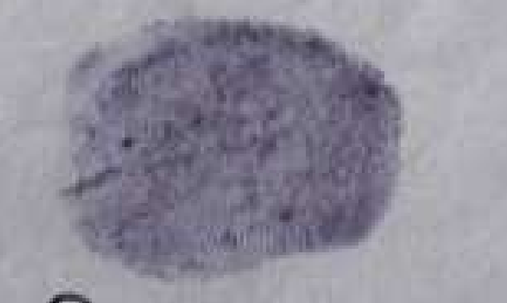

Rajeevkumar

Scanned by TapScanner

18. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टियों का 1/3 अथवा इससे अधिक जिसमें फाउन्डर ट्रस्टीज का 2/3 होना आवश्यक है, होगा। यदि कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि समय व स्थान की समस्त ट्रस्टियों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित बैठक भी कोरम पूरे किये बिना नही हो सकती।

19. यह कि उक्त न्यासीगण ट्रस्टीज द्वारा संचालित संस्थाओं से अपनी अपनी सेवाओं के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगें जिसका निर्धारण फाउन्डर ट्रस्टीज ही करेगें।

20. यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, सम्पत्ति, प्रतिभूतियों के लिए उत्तरदायी होगें तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति उपेक्षा अथवा चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंकर, दलाल, ऐजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि अथवा प्रतिभूतिया रखी गयी है और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य, घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर, परन्तु वह उनके द्वारा जान बूझकर की गई चूक अथवा व्यक्ति गत कारणों से न हुआ हो, तो ट्रस्टी गण उसके लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी नही होगें।

21. यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्टीज के उददेश्यों के सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी ऐजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल है, को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगणों में निहित शक्तियों को प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

22. यह कि ट्रस्टीज ट्रस्ट के नाम चालू खाता, सावधि जमा खाता, सेविंग खाता, आवेर ड्राफ्ट खाता एंव अन्य सभी प्रकार की बैंकिंग खाते किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक, पोस्ट ऑफिस में खोल व रख सकते है। परन्तु उक्त सभी बैंकिंग खातो का संचालन अध्यक्ष व सचिव के संयुक्त या किसी एक के हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा।

23. यह कि ट्रस्टीज ट्रस्ट की प्राप्ति एवं खर्चों व ट्रस्ट फण्ड व सम्पत्तियों की सम्पूर्ण बजाब्ता हिसाब उचित तरीके से रखेगें तथा प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का आय-व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेगें जो अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

Rajeshkumar

Scanned by TapScanner

24. यह कि ट्रस्टीज को उक्त ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों/संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा अन्य किसी के सहयोग से समस्त विधिवत कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

25. यह कि ट्रस्टीज ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु कही भी चल व अचल सम्पत्ति किन्ही भी शर्तो पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेगें तथा जो ट्रस्ट के उददेश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे वह पूर्ण स्वामित्व मे हो या लीज पर हो या किराये पर देने, हस्तान्तरण करने या अन्य प्रकार के अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उददेश्यों से रिक्त होने का अधिकार नही होगा।

26. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या सम्पत्तियों के किसी भाग को एक साथ या खण्डों में सार्वजनिक नीलाम या प्राईवेट संविदा द्वारा सशर्त या बिना शर्त क्रय, विक्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा मे परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा तथा ट्रस्टीगण उनमे हुई किसी हानि के लिए जिम्मेदार नही होंगे।

27. यह कि ट्रस्ट अपने उददेश्यों की पूर्ति हेतु दान, चन्दा एवं ऋण आदि ले सकती है तथा इस हेतु यदि आवश्यक हुआ तो ट्रस्ट द्वारा अपनी सम्पत्ति को बन्धक रख सकती है तथा ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करने का भी अधिकार होगा। इस हेतु ट्रस्ट की ओर से सचिव अधिकृत व्यक्ति होगा जो समस्त दस्तावेजों को ट्रस्ट की ओर से निष्पादित करेगा

28. यह कि फाउन्डर ट्रस्टीज ट्रस्ट के उददेश्यों के लिए ट्रस्ट की सम्पत्तियों, परिसम्पत्तियों को किराये पर देने, व सभी प्रकार के शेयरों, ऋण पत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

29. यह कि ट्रस्टीज को समय-समय पर एक या अधिक निदेशक, सुपरिन्टेडेन्ट, सुपरवाईजर, क्लर्क, एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी को नियम एवं शर्तो के अधीन नियुक्त करने एवं पारिश्रमिक निर्धारित करने एव देने का अधिकार होगा एवं उक्त सभी को निलम्बित, कार्यमुक्त एंव हटाने का पूर्ण अधिकार सचिव को होगा।

Rajeshkumar

Scanned by TapScanner

30. यह कि न्यास के लिए यह वैधानिक होगा कि वह अतिरिक्त धन का संचय कर सकते है तथा उसका विनियोजन भी आवश्यकतानुसार समय–समय पर भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत कर सकते है।

31. यह कि एतद द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा परन्तु यदि किसी कारण वश उक्त ट्रस्टीज ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ हो तो ट्रस्ट की सम्पत्तियों, परिसम्पत्तियों का निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन कर सकते है। तथा इसके पश्चात जो भी लाभ या हानि होगी वह ट्रस्टीज द्वारा वहन किया जायेगा।

32. **प्रतिबन्ध –** समय समय पर सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजूकेशनल अधिकृत अन्य शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित निर्देशों उपनियमों का क्रियान्वयन भलि भांति करना तथा भविष्य में दिये जाने वाले निर्देशों का पालन करना।

क– विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जाएगा।

ख– विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

घ– संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोंड अनुदान की माँग नही की जाएगी और यदि पूर्व में विधालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एकजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएगी।

च– संस्था के शिक्षण तथा शिक्षाणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन मानो तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान अन्य भत्ते नही दिये जाएगे।

छ– कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जाएगी और उन्हें सहायता प्राप्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विधालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जाएंगे।

ज– राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जाएंगे संस्था उसका पालन करेगी।

झ– विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिका आम रखा जाएगा।

प्रतिबन्ध क से झ तक बिना शासन के पुर्नअनुमोदन के परिवर्तन/परिवर्द्धन/संशोधन नही किया जाएगा।

33– ट्रस्ट पर भारतीय ट्रस्ट एक्ट के प्रविधान लागू होगें।

33– ट्रस्ट के पास उक्त रू 50,000/– के अतिरिक्त कोई चल व अचल सम्पत्ति नही है।

Rajkumar

तोताराम

तोताराम

Scanned by TapScanner